पत्र संख्या-सी0सी0टी0/निरी0अनु0/(2018-19)-टैक्स आडिट// 1413 //वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(निरीक्षण-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनॉक :: 29 , दिसम्बर, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(टैक्स ऑडिट)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के परिपत्र सं0-सी0सी0टी0/निरी0अनु0/(2018-19)-टैक्स आडिट// 512/ 1819025/ वाणिज्य कर, दिनांक 07-08-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा टैक्स ऑडिट हेतु वर्ष 2016-17 के वादों का चयन करते हुये टैक्स ऑडिट वादों के निष्पादन की व्यवस्था की गयी है। उक्त परिपत्र के बिन्दु सं0-9 में टैक्स ऑडिट मैनुअल के अध्याय-4 के प्रस्तर-1, 2, 3 में वर्णित कार्य एवं दायित्व के अनुसार ज्वाइण्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एवं असिस्टेन्ट कमिश्नर के मध्य कार्य विभाजन किया गया है, किन्तु संज्ञान में आया है कि उपर्युक्त व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है। अतः टैक्स ऑडिट वादों का निस्तारण निम्न व्यवस्थानुसार किया जाये।

"ज्वाइण्ट कमिश्नर(टैक्स ऑडिट) के पास टर्नओवर के क्रम में सबसे ऊपर के 125 डीलर रहेंगें उसके नीचे के 75 डीलर डिप्टी कमिश्नर स्तर पर रहेंगें तथा शेष बचे डीलर असिस्टेन्ट कमिश्नर के स्तर पर रहेंगें, तथा मैनुअल व्यवस्था के अनुरुप ऑनलाईन रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। ऑनलाईन रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में परिपत्र सं0-1394/ 1819076, दिनांक 24-12-2018 जारी किया जा चुका है, जिसका अनुपालन शतप्रतिशत सुनिश्चित किया जाये।

यह पत्र माननीय कमिश्नर, महोदया के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

28.12.2018

(अजीत कुमार शुक्ला)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।